अध्याय–I

सामान्य

अध्याय - I
सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2017-18 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जुटाए गए कर एवं गैर-कर राजस्व, राज्य को समनुदेशित विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय का राज्यांश तथा वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान एवं विगत चार वर्षों के तदनरूपी आंकड़े नीचे दर्शाए गए हैं:

तालिका 1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

₹ करोड़ में

क्रमांक	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18[1]
1.	**राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया राजस्व**					
	कर राजस्व	5,120.91	5,940.16	6,695.81	7,039.05	7,107.67[2]
	गैर-कर राजस्व	1,784.53	2,081.45	1,837.15	1,717.24	2,363.85
	योग	**6,905.44**	**8,021.61**	**8,532.96**	**8,756.29**	**9,471.52**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय का अंश	2,491.53	2,644.17	3,611.17	4,343.70	4,801.31[3]
	सहायता अनुदान	6,314.11	7,177.67	11,296.35	13,164.35	13,094.23[4]
	योग	**8,805.64**	**9,821.84**	**14,907.52**	**17,508.05**	**17,895.54**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 तथा 2)**	**15,711.08**	**17,843.45**	**23,440.48**	**26,264.34**	**27,367.06**
4.	**1 की 3 से प्रतिशतता**	**44**	**45**	**36**	**33**	**35**

वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया राजस्व (₹9,471.52 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 35 *प्रतिशत* था। वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्तियों का शेष 65 *प्रतिशत* भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय के राज्यांश तथा सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ था। राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में ₹1,102.72 करोड़ की वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया गया है:

ग्राफ- 1.1

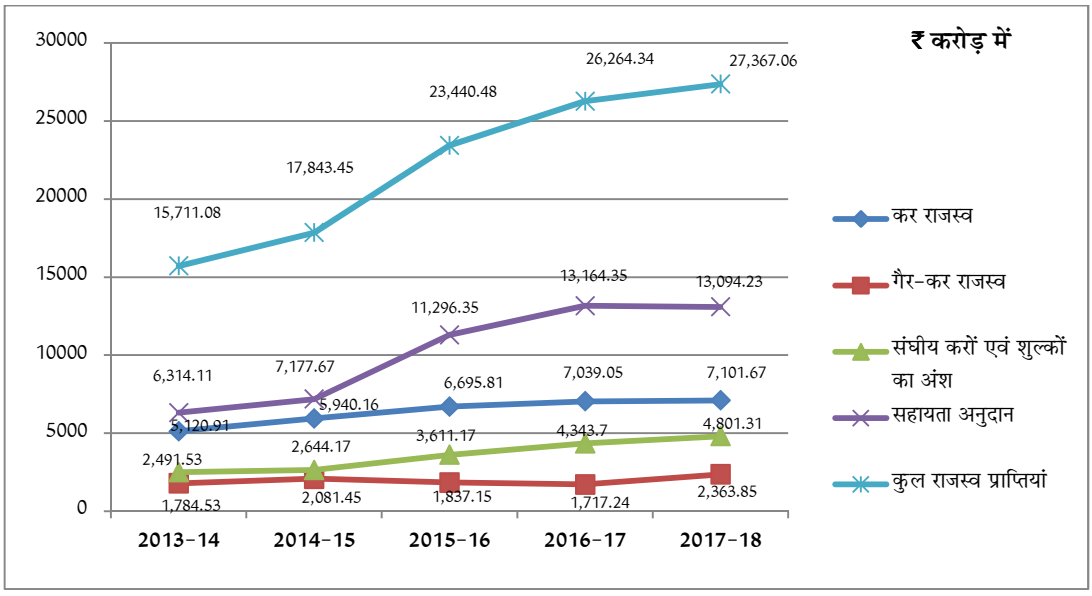

[1] राज्य सरकार के वित्त लेखे।

[2] इसमें मुख्य प्राप्ति शीर्ष '0006-राज्य वस्तु एवं सेवा कर' के अन्तर्गत प्राप्त ₹1,833.16 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

[3] इसमें भारत सरकार से केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर के रूप में प्राप्त ₹68.36 करोड़ तथा एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के रूप में प्राप्त ₹484.84 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

[4] इसमें वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के कारण भारत सरकार से हानि की प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त ₹1,059 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

1.1.2 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान जुटाए गए कर राजस्व का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.2: कर राजस्व प्राप्तियों का विवरण

₹ करोड़ में

क्रमांक	राजस्व प्राप्ति के मुख्य शीर्ष	कर राजस्व प्राप्तियां (कुल कर राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता)					2017-18 में 2016-17 की वास्तविक प्राप्तियों के ऊपर वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
1.	बिक्री एवं व्यापार पर वस्तु एवं सेवा कर/ मूल्य वर्धित कर	3,141.10 (61.34)	3,660.57 (61.62)	3,992.99 (59.63)	4,381.91 (62.25)	4,359.03[5] (61.33)	0
2.	राज्य आबकारी	951.96 (18.59)	1,044.14 (17.58)	1,131.22 (16.89)	1,307.87 (18.58)	1,311.25 (18.45)	0
3.	मोटर वाहन कर	207.81 (4.06)	220.10 (3.71)	317.05 (4.74)	279.58 (3.97)	367.16 (5.17)	31
4.	स्टाम्प शुल्क	187.50 (3.66)	190.58 (3.21)	205.52 (3.07)	209.16 (2.97)	229.18 (3.22)	10
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	191.36 (3.74)	332.82 (5.60)	551.06 (8.23)	371.67 (5.28)	360.79 (5.08)	-3
6.	अन्य	441.18 (8.62)	491.95 (8.28)	497.97 (7.44)	488.86 (6.94)	480.26[6] (6.76)	-2
योग		**5,120.91**	**5,940.16**	**6,695.81**	**7,039.05**	**7,107.67**	**1**

स्रोत: वित्त लेखे

2013-14 से 2017-18 के दौरान कर राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति को ग्राफ में नीचे दर्शाया गया है:

ग्राफ- 1.2

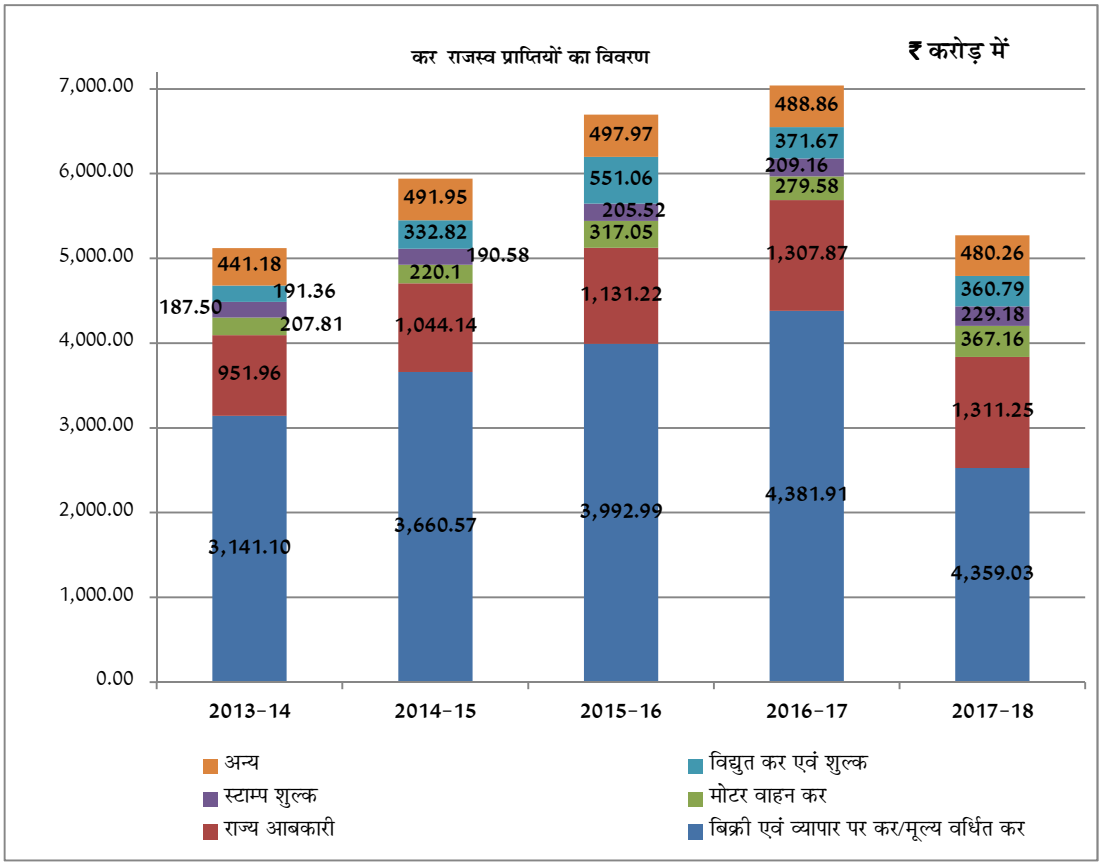

[5] इसमें 1 जुलाई 2017 से उद्ग्राहय वस्तु एवं सेवा कर की ₹1,833.16 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

[6] अन्य प्राप्तियां- भू-राजस्व: ₹16.96 करोड़, माल एवं यात्री पर कर: ₹111.69 करोड़ तथा अन्य वस्तु एवं सेवाओं पर कर एवं शुल्क: ₹351.61 करोड़

2013-14 में ₹5,120.91 करोड़ से 2017-18 में राजस्व कर में ₹7,107.67 करोड़ की समग्र वृद्धि हुई।

1.1.3 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान जुटाए गए गैर-कर राजस्व का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.3: गैर-कर राजस्व प्राप्तियों का ब्यौरा

₹ करोड़ में

क्रमांक	**राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्ष**	**गैर-कर राजस्व प्राप्तियां (कुल गैर-कर प्राप्तियों की प्रतिशतता)**					**2017-18 में 2016-17 की वास्तविक प्राप्तियों के ऊपर वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता**
		2013-14	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	
1.	**विद्युत**	696.29 (39.02)	1,121.51 (53.88)	923.68 (50.28)	650.93 (37.91)	687.61 (29.09)	6
2.	**ब्याज प्राप्तियां**	118.61 (6.65)	100.93 (4.85)	93.84 (5.11)	145.56 (8.48)	340.54 (14.41)	134
3.	**अलौह, खनन एवं धातुकर्म उद्योग**	114.08 (6.39)	161.52 (7.76)	155.08 (8.44)	176.22 (10.26)	441.46 (18.68)	151
4.	**वानिकी एवं वन्य जीवन**	357.83 (20.05)	115.78 (5.56)	34.47 (1.88)	18.50 (1.08)	46.87 (1.98)	153
5.	**लोक निर्माण कार्य**	34.75 1.95	34.13 (1.64)	43.00 (2.34)	54.60 (3.18)	55.87 (2.36)	2
6.	**अन्य प्रशासनिक सेवाएं**	25.95 (1.45)	35.57 (1.71)	32.81 (1.79)	42.63 (2.48)	40.45 (1.71)	-5
7.	**पुलिस**	34.65 (1.94)	39.83 (1.91)	48.53 (2.64)	50.50 (2.94)	63.33 (2.68)	25
8.	**अन्य गैर-कर प्राप्तियां**[7]	402.37 (22.55)	472.18 (22.69)	505.74 (27.53)	578.30 (33.68)	687.72 (29.09)	19
योग		**1,784.53**	**2,081.45**	**1,837.15**	**1,717.24**	**2,363.85**	**38**

स्रोत: वित्त लेखे

[7] अन्य गैर-कर राजस्व के विवरण ***अनुलग्नक-I*** में दिए गए है।

2013-14 से 2017-18 के दौरान गैर-कर राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति को नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाया गया है:

ग्राफ- 1.3

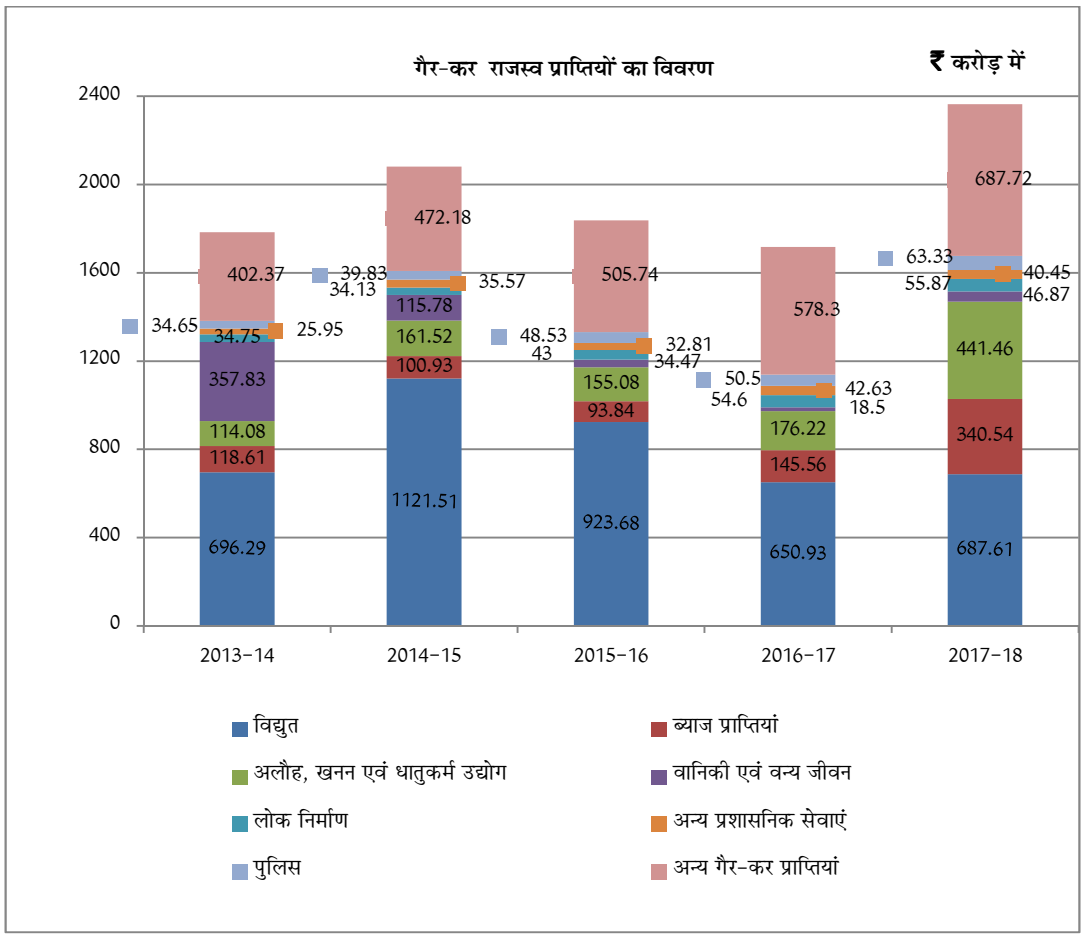

2016-17 में ₹1,717.24 करोड़ की समग्र गैर-कर राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2017-18 में बढ़कर ₹2,363.85 करोड़ हुई (₹646.61 करोड़ या 38 *प्रतिशत की वृद्धि*)। यह वृद्धि 2016-17 की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में मुख्य रूप से ब्याज प्राप्तियों, अलौह, खनन एवं धातुकर्म उद्योग तथा विविध सामान्य सेवाओं से प्राप्त वास्तविक प्राप्तियों में तीव्र वृद्धि के कारण हुई।

सम्बन्धित विभागों ने वर्ष के दौरान भिन्नता के निम्नलिखित कारण बताए।

- **विद्युत:** 2017-18 के दौरान विद्युत क्षेत्र के अन्तर्गत पिछले वर्ष की तुलना में विद्युत की प्रति यूनिट उच्चतर औसत बिक्री मूल्य के कारण प्राप्तियों में वृद्धि हुई।
- **ब्याज प्राप्तियां:** उद्य (यू.डी.ए.वाई) के अन्तर्गत डिस्कॉम (डी.आई.एस.सी.ओ.एम) को दिए गए ऋण पर ब्याज प्राप्तियों (₹231 करोड़) के कारण वृद्धि हुई।
- **अलौह, खनन व धातुकर्म उद्योग:** यह वृद्धि खनन पट्टों के हस्तांतरण हेतु ₹194.20 करोड़ के अग्रिम प्रीमियम की अदायगी तथा मैसर्ज अल्ट्राटैक लिमिटेड द्वारा रॉयल्टी पर ब्याज को विलम्ब से जमा करने के कारण हुई।
- **वानिकी एवं वन्य जीवन:** वृद्धि मुख्यत: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बिक्री किए गए वृक्षों एवं अन्य वन उत्पाद से प्राप्त ₹10.13 करोड़ की राशि के कारण हुई।
- **लोक निर्माण कार्य:** वृद्धि विगत वर्ष के दौरान 77 निर्माण कार्यों की तुलना में 2017-18 के दौरान 189 निर्माण कार्यों को शुरू करने के कारण हुई।

- **पुलिस:** वृद्धि रेलवे पुलिस से अंशदान की वसूली, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन परिषद को उपलब्ध करवाए गए गार्ड, कर्मचारियों से वेतन के अधिक भुगतान की वसूली तथा शिमला में प्रतिबंधित सड़कों पर चलने के लिए वाहनों के परमिट जारी करने के कारण हुई।

अन्य विभागों ने विगत वर्ष की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता के कारण सूचित नहीं किए थे (अगस्त 2019)।

1.2 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2018 को कुछ मुख्य राजस्व शीर्षों में वसूली योग्य राजस्व बकाया की राशि ₹4,035.69 करोड़ थी, जिसमें से ₹373.23 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि नीचे में दर्शाया गया है:

तालिका 1.4: राजस्व का बकाया

₹ करोड़ में

क्रमांक	राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्ष	31 मार्च 2018 को बकाया राशि	31 मार्च 2018 को 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
1.	बिक्री एवं व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर	3,086.23	118.61	₹2,610.10 करोड़ के बकाया को भू-राजस्व का बकाया की वसूली के रूप में संदर्भित किया गया था, ₹109.89 करोड़ की राशि की वसूली को न्यायालय द्वारा रोक दिया गया, ₹16.69 करोड़ सरकारी विभागों/उपक्रमों/बोर्ड से वसूली योग्य थे। ₹27.88 करोड़ बट्टे-खाते में डालने के लिए प्रस्तावित थे, ₹27.19 करोड़ अपील के अन्तर्गत लम्बित थे एवं ₹294.48 करोड़ अन्यों से वसूली योग्य थे।
2.	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास व लघु सिंचाई	297.59	198.74	₹236.32 करोड़ का बकाया नगर निगम/समितियों से सम्बन्धित था, ₹58.87 करोड़ व ₹77.41 लाख क्रमशः गैर सरकारी निकाय एवं सरकारी विभागों से सम्बन्धित थे, ₹1.58 करोड़ अबियाना प्रभार तथा ₹4.54 लाख आवास से सम्बन्धित थे।
3.	राज्य आबकारी	222.63	14.88	₹72.49 करोड़ के बकाया को भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूली हेतु संदर्भित किया था, ₹7.64 करोड़ न्यायालय द्वारा रोक दिए गए थे, ₹28.88 करोड़ सरकारी विभागों/उपक्रमों/ बोर्डों से वसूली योग्य थे, ₹21.32 लाख बट्टे-खाते में डालने के लिए प्रस्तावित थे तथा ₹113.41 करोड़ बोली देने वाले/ लाईसेंसधारियों/अन्यों से वसूली योग्य थे।
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	211.04	0.0	राशि हिमाचल प्रदेश सरकार से वसूली योग्य थी।
5.	वानिकी एवं वन्य जीवन	100.21	16.04	राशि हिमाचल प्रदेश राज्य विकास निगम लिमिटेड एवं ठेकेदारों से वसूली योग्य थी।
6.	वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	68.35	12.62	₹42.23 करोड़ के बकाया को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली हेतु संदर्भित किया था, ₹11.03 करोड़ को न्यायालय द्वारा रोक दिया गया था, ₹2.27 करोड़ अपील में लम्बित थे तथा ₹12.82 करोड़ अन्य से वसूली योग्य थे।
7.	पुलिस	30.17	1.89	बकाया, वर्ष 1971-72 से संचित था। इसमें से, ₹22.89 लाख मैसर्ज पटेल इन्जीनियर्स लिमिटेड कुल्लू से सम्बन्धित थे तथा शेष सरकारी विभागों/उपक्रमों को पुलिस बल की आपूर्ति के बकाया से सम्बन्धित थे।
8.	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	0.23	0.13	बकाया, वर्ष 1989-90 से संचित था। बकाया शेड के किराये (औद्योगिक सम्पदा), सरकारी आवास के किराये व शहतूत के पौधों की बिक्री से प्राप्ति आदि से सम्बन्धित था।
9.	माल एवं यात्री पर कर	6.89	6.87	कुल बकाया से, ₹3.29 करोड़ भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूली हेतु संदर्भित थे, ₹12.00 लाख न्यायालय द्वारा रोक दिए गए थे, ₹11.17 लाख सरकारी विभाग/उपक्रम/बोर्डों से वसूली योग्य थे, ₹38.32 लाख बट्टे खाते में डालने के लिए प्रस्तावित थे एवं ₹2.99 करोड़ अन्यों से वसूली योग्य थे।
10.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	3.92	0.34	बकाया, वर्ष 1999 से संचित था। ₹59.08 लाख का बकाया राज्य परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, लालपानी, ₹26.56 लाख का बकाया निदेशक, हिमाचल प्रदेश महिला एवं बाल विकास, ₹23.31 लाख का बकाया प्रबन्ध निदेशक, नागरिक आपूर्ति निगम, ₹21.03 लाख निदेशक उद्योग तथा ₹2.62 करोड़ अन्य उद्योग/विभाग/निगम से वसूली योग्य थे।
11.	अलौह, खनन व धातुकर्म उद्योग	0.80	0.59	बकाया, वर्ष 1970-71 से संचित था। बकाया खनन कार्यालयों एवं भू-वैज्ञानिक विंग के निदेशालय के आहरण एवं संवितरण अधिकारी (मुख्यालय) से रॉयल्टी की वसूली एवं ड्रिलिंग प्रभार आदि से सम्बन्धित थे।
12.	लोक निर्माण कार्य	0.58	0.15	बकाया आवासीय व गैर आवासीय भवनों से सम्बन्धित था।
13.	उद्योग	7.05	2.37	बकाया वर्ष 1980-81 से संचित था। बकाया भू-खण्ड (औद्योगिक क्षेत्र) के प्रीमियम आदि से सम्बन्धित था।
योग		**4,035.69**	**373.23**	

स्रोत: विभागीय आंकड़े

1.3 निर्धारणों में बकाया

बिक्री कर, मोटर स्पिरिट कर, विलास कर तथा कार्य संविदाओं पर करों के सम्बन्ध में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित मामले, वर्ष के दौरान निर्धारण हेतु देय मामले, निपटाए गए मामले तथा वर्ष के अन्त में अन्तिम रूप देने के लिए लम्बित मामलों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.5: निर्धारणों में बकाया

₹ करोड़ में

राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्ष	अथशेष	2017-18 के दौरान निर्धारण हेतु देय नए मामले	कुल देय निर्धारण	2017-18 के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अन्त तक शेष	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 5 से 4)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री एवं व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर	1,79,308	97,713	2,77,021	61,573	2,15,448	22
विलास कर	3,553	2,956	6,509	2,538	3,971	39
संविदा कार्यों पर कर	1,270	729	1,999	875	1,124	44
मोटर स्पिरिट पर कर	28	21	49	21	28	43

स्रोत: विभागीय आंकड़े

बकाये की विशाल तथा बढ़ती हुई मात्रा के कारण बिक्री एवं व्यापार पर करों/मूल्य वर्धित करों के मामले में निपटान (22 *प्रतिशत*) की निम्न प्रतिशतता एक गंभीर चिंता का मामला था।

विभाग राजस्व हित में लम्बित मामलों को कम करने हेतु आवश्यक कदम उठाए।

1.4 विभाग द्वारा पता लगाये गए कर का अपवंचन

आबकारी एवं कराधान विभाग ने कर के अपवंचन हेतु सड़कों पर जांच एवं सर्वेक्षण किये तथा वर्ष के दौरान कर अपवंचन के 14,493 मामलों को लगाया। आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा उजागर किए गए कर अपवंचन के मामले, निर्णीत मामले तथा अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों का विवरण जैसा कि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया, नीचे दर्शाया गया है:

तालिका -1.6 कर का अपवंचन

क्रमांक	राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्ष	1 अप्रैल 2017 तक लम्बित मामले	2017-18 के दौरान उजागर मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/छानबीन पूर्ण कर ली गई तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2018 तक अंतिम रूप देने हेतु लम्बित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	(राशि) (₹ करोड़ में)	
1.	**बिक्री एवं व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर**	156	2,836	2,992	2,881	9.44	111
2.	**राज्य आबकारी**	62	1,375	1,437	1,410	1.56	27
3.	**यात्री एवं माल कर**	325	9,277	9,602	9,574	3.99	28
4.	**पदार्थों एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क**	97	1,005	1,102	1,097	3.90	5
योग		**640**	**14,493**	**15,133**	**14,962**	**18.89**	**171**

स्रोत: विभागीय आंकड़े

वित्तीय वर्ष के आरम्भ में अंतिम रूप देने के लिए कुल 640 लम्बित मामले वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंत तक घटकर 171 रह गए।

1.5 प्रतिदाय मामले

वर्ष 2017-18 के प्रारम्भ में लम्बित प्रतिदाय मामले, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान अनुमत्त प्रतिदाय तथा वर्ष 2017-18 के अन्त तक लम्बित मामलों का विवरण नीचे में दर्शाया गया है:

तालिका 1.7: लम्बित प्रतिदाय मामले

क्रमांक	विवरण	बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर		राज्य आबकारी	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	**वर्ष के प्रारम्भ में बकाया दावे**	42	21.69	19	0.53
2.	**वर्ष के दौरान प्राप्त दावे**	210	35.98	31	4.43
3.	**वर्ष के दौरान किया गया प्रतिदाय**	211	52.72	35	3.93
4.	**वर्ष की समाप्ति पर अदत्त बकाया**	41	4.95	15	1.03

स्रोत: विभागीय आंकड़े

वित्तीय वर्ष की शुरूआत में बकाया मामलों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्त तक बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर एवं राज्य आबकारी दोनों के बकाया मामलों की संख्या कम हो गई थी।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हिमाचल प्रदेश लेन-देनों की नमूना-जांच करने एवं महत्त्वपूर्ण लेखों तथा अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण का सत्यापन करने के लिए सरकारी विभागों का सामयिक निरीक्षण करता है जैसा कि नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित है। इन निरीक्षणों का अनुसरण ऐसे निरीक्षण प्रतिवेदनों द्वारा किया जाता है जिनमें निरीक्षण के दौरान उजागर की गई अनियमिताओं को सम्मिलित किया गया किया है, तथा मौके पर निपटान नहीं किया गया जिन्हें निरीक्षित कार्यालयाध्यक्षों को जारी किया जाता है तथा इनकी प्रतियों को अगले उच्चतर प्राधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु भेजा जाता है। कार्यालयाध्यक्षों को निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदनों में अन्तर्विष्ट अभ्युक्तियों की अनुपालना करना आवश्यक है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागाध्यक्षों तथा सरकार को प्रतिवेदित की जाती है।

मार्च 2018 तक जारी किये गए निरीक्षण प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुए, 2,660 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 7,924 परिच्छेदों में जून 2018 के अन्त में ₹1958.98 करोड़ की अन्तर्ग्रस्त राशि बकाया थी, जैसा कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के लिए तत्सम्बधी आंकड़ों सहित **तालिका 1.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8: लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

	जून 2016	जून 2017	जून 2018
निपटान हेतु लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,549	2,582	2,660
बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	7,512	7,764	7,924
अन्तर्ग्रस्त राजस्व राशि (₹ करोड़ में)	1,512.30	1,817.56	1,958.98

पिछले तीन वर्षों के दौरान निरीक्षण प्रतिवेदनों, समायोजन हेतु लम्बित लेखापरीक्षा आपत्तियों तथा कुल धन मूल्य में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई।

30 जून 2018 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियों तथा उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि का विभागवार विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.9: लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

क्रमांक	विभाग का नाम	प्राप्तियों का स्वरूप	बकाया निरीक्षण प्रतिवदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त मुद्रा मूल्य (₹ करोड़ में)
1.	**आबकारी एवं कराधान**	बिक्री तथा व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर	136	860	385.93
		राज्य आबकारी	67	314	281.43
		यात्री व माल कर	184	395	280.67
		पदार्थों एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	114	144	6.70
		मनोरंजन एवं विलास कर	58	113	12.63
2.	**राजस्व**	भू-राजस्व	219	413	169.05
		स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	644	1,412	55.04
3.	**परिवहन**	मोटर वाहन कर	695	2,598	299.78
4.	**वानिकी एवं वन्य जीवन**	वन प्राप्तियां	543	1,675	467.75
योग			**2,660**	**7,924**	**1,958.98**

वर्ष 2017-18 के दौरान जारी किए गए 174 निरीक्षण प्रतिवेदनों में से 54 निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबध में संबधित विभागध्यक्षों से चार सप्ताह के अनुबंध समय के बाद लेखापरीक्षा में प्रथम उत्तर प्राप्त किये।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह जांच करना है कि निर्धारित नियमों, कानूनों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है तथा गैर-अनुपालना, व्यवस्थात्मक कमियों एवं विफलताओं के मामलों को उजागर करना है। निरीक्षण प्रतिवेदनों की बड़ी संख्या तथा इसकी बढ़ती प्रवृत्ति एवं निपटान हेतु लम्बित लेखापरीक्षा आपत्तियां इसके प्रति अपर्याप्त प्रतिक्रिया को दर्शाती है। इन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर कार्रवाई का अभाव जवाबदेही को कमजोर बनाती है तथा राजस्व की परिहार्य हानि के जोखिम को बढ़ावा देती है। लेखापरीक्षा द्वारा लगातार उठाए जा रहे मामले तथा लम्बित लेखापरीक्षा परिच्छेदों की बढ़ती प्रवृत्ति आवश्यक रूप से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों के अनुश्रवण तथा निपटान में तीव्रता लाने के लिए लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया गया था। वर्ष 2017-18 के दौरान हुई लेखापरीक्षा समिति की बैठकों तथा निपटाए गए परिच्छेदों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.10: विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण

क्रमांक	विभाग	आयोजित की गई बैठकों की संख्या	लम्बित पड़े परिच्छेदों की संख्या	निपटाये गये परिच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	**राजस्व**	1	1,270	42	0.50
2.	**वन**	1	1,659	21	6.48
योग		**2**	**2,929**	**63**	**6.98**

2017-18 के दौरान आयोजित राजस्व एवं वन विभागों की दो लेखापरीक्षा समिति बैठकों में लम्बित पड़े 2,929 परिच्छेदों में से ₹6.98 करोड़ से अन्तर्गस्त 63 परिच्छेदों (2.15 *प्रतिशत*) का समायोजन किया गया। आबकारी एवं कराधान तथा परिवहन विभागों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

सरकार को सभी विभागों में नियमित अन्तराल पर लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करना चाहिए।

1.6.3 प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों को सम्बन्धित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए इस अनुरोध के साथ भेजा जाता है कि वे छः सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया प्रेषित करें। विभागों/सरकारों से उत्तरों की प्राप्ति न होने के मुद्दे को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे परिच्छेदों के अन्त में अनिवार्य रूप से दर्शाया जाता है।

31 प्रारूप परिच्छेद जून तथा अगस्त 2018 के मध्य सम्बन्धित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को भेजे गये थे, जिसमें से 23 परिच्छेदों को इस प्रतिवेदन में दिखाया गया है। सम्बन्धित विभागों ने छः प्रारूप परिच्छेदों के उत्तर नहीं दिए थे, तथा विभाग की प्रतिक्रिया के बिना इन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिये थे तथा उन्हें इस प्रतिवेदन में सरकार की प्रतिक्रिया के बिना सम्मिलित किया गया है। स्वीकृत मामलों में भी वसूली की प्रगति बहुत धीमी थी जिसे **परिच्छेद1.7.2** के ग्राफ में दर्शाया गया है।

प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेद में उजागर तथ्यों की तार्किक पूर्णता सुनिश्चित करने तथा लोक लेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तुत मुद्दों की समग्र सराहना को सक्षम बनाने के लिए उत्तर प्रस्तुत करना आवश्यक है।

1.6.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई - सारांशित स्थिति

दिसम्बर 2002 में लोक लेखा समिति ने अधिसूचित किया कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करने के पश्चात विभाग लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर कार्रवाई शुरू करेगा तथा प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन मास के भीतर सरकार द्वारा उन पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियां समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की जानी चाहिए। तथापि, इन प्रावधानों के बावजूद भी प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियों में असाधारण विलम्ब था। हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2013, 2014, 2015 तथा 2016 को समाप्त वर्षों के लिए प्रतिवेदनों में सम्मिलित कुल 116 परिच्छेद (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) को 21 फरवरी 2014 तथा 31 मार्च 2017 के मध्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। तथापि, इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों हेतु सम्बन्धित विभागों से इन परिच्छेदों पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियां बहुत देर से प्राप्त हुई थी तथा इनमें क्रमशः 14,10, सात एवं नौ मास का औसत विलम्ब हुआ था। 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के दो परिच्छेदों पर, राजस्व विभाग से की गई कार्रवाई की टिप्पणियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी (अगस्त 2019)।

लोक लेखा समिति ने वर्ष 2017-18 के दौरान राजस्व क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित किसी भी परिच्छेद पर चर्चा नहीं की।

1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों पर विभागों द्वारा की गई कार्रवाई: राजस्व विभाग की विस्तृत स्थिति

राजस्व विभाग के अन्तर्गत मुख्य प्राप्ति शीर्ष *'0030-स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस'* पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवदनों में सम्मिलित परिच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई के मूल्यांकन को इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है तथा अनुवर्ती परिच्छेद **1.7.1** से **1.7.3** में विवरणित हैं।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

पिछले 10 वर्षों के दौरान राजस्व विभाग से सम्बन्धित 31 मार्च 2018 तक जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों की वस्तुस्थिति तथा उनकी संक्षिप्त स्थिति को ***अनुलग्नक-II*** में दर्शाया गया है:

वर्ष 2008-09 के प्रारंभ में 1,181 परिच्छेदों सहित 607 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रति 2017-18 के अन्त तक 1,449 परिच्छेदों सहित बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या बढ़कर 646 हो गई। निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित की गई तत्सम्बधी मुद्रा मूल्य ₹15.43 करोड़ से बढ़कर ₹59.49 करोड़ हो गया।

1.7.2 स्वीकार किए गए मामलों में वसूली

पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों, जो कि राजस्व विभाग द्वारा स्वीकार किए गए तथा वसूल की गई राशि की स्थिति ***अनुलग्नक-III*** में दर्शायी गई है:

वसूली की प्रगति स्वीकृत मामलों में भी बहुत धीमी थी, क्योंकि 31 मार्च 2018 तक स्वीकृत परिच्छेदों में ₹269.49 करोड़ के कुल वसूली योग्य राजस्व के प्रति केवल ₹3.02 करोड़ (एक *प्रतिशत*) ही वसूल किए गये थे।

राजस्व विभाग द्वारा स्वीकार किए गए मामलों की वसूली तथा वसूल की गई राशि को नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है:

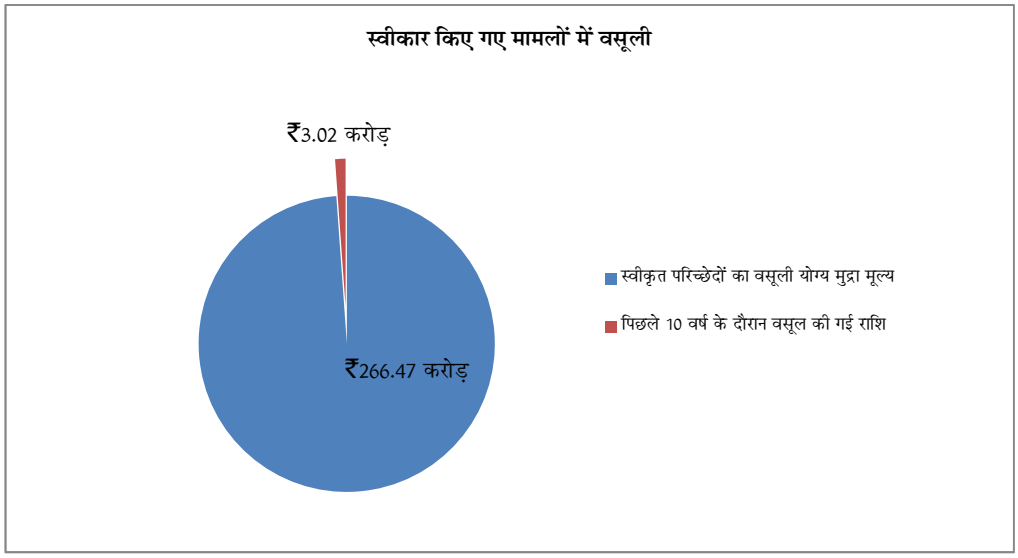

1.7.3 विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत लेखापरीक्षा सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

प्रधान महालेखाकार द्वारा संचालित की गई निष्पादन लेखापरीक्षा पर प्रारूप प्रतिवेदन सम्बन्धित विभाग/सरकार को उनके उत्तर उपलब्ध करवाए जाने के अनुरोध के साथ अग्रेषित किया जाता है। अंतिम सम्मेलन में भी निष्पादन लेखापरीक्षा पर चर्चा की जाती है तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा को अंतिम रूप देते समय विभाग/सरकार के विचार सम्मिलित किए जाते हैं।

लेखापरीक्षा सिफारिशों को मुख्य शीर्ष *'0030-स्टाम्प शुल्क'* के अर्न्तगत राजस्व विभाग पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल किया गया था, जो राजस्व क्षेत्र पर वर्ष 2011-12 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल की गई थी, को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.14: सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

क्रमांक	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का शीर्षक	निष्पादन लेखापरीक्षा में की गई सिफारिशों की संख्या	टिप्पणियां
1.	2011-12	*'पट्टाविलेख पर स्टाम्प शुल्क व पंजीयन शुल्क'*	पांच सिफारिशें	विभाग ने सभी सिफारिशों को स्वीकार किया तथा बताया कि उनको लागू करने हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

1.8 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग में सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) के प्रभार के अधीन आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष को अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों के साथ-साथ समय-समय पर जारी की गई विभागीय निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु परिचालन समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों एवं अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार निर्धारण के मामलों की नमूना जांच करना अपेक्षित था।

वर्ष 2017-18 के दौरान संचालित किए गए आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है:

विभाग का नाम	लेखापरीक्षा योग्य कुल इकाइयां	लेखापरीक्षा हेतु निर्धारित इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	कमी
आबकारी एवं कराधान	13	13	04	09
राजस्व	**विवरण उपलब्ध नहीं करवाया गया।**			
परिवहन				
वन	**आन्तरिक लेखापरीक्षा कक्ष नहीं था।**			

आबकारी एवं कराधान विभाग ने आंतरिक लेखापरीक्षा में कमी का कारण स्टॉफ की कमी बताया। आन्तरिक लेखापरीक्षा से सम्बन्धित सूचना राजस्व एवं परिवहन विभागों द्वारा प्रदान नहीं की गई जबकि वन विभाग ने बताया कि आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष का विभाग में गठन नहीं किया गया था।

1.9 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा इकाइयों को उनकी राजस्व स्थिति, पूर्व लेखापरीक्षा टिप्पणियों तथा अन्य मानदंड के अनुसार उच्च, मध्यम तथा निम्न जोखिम में वर्गीकृत किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना को जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार किया जाता हैं जिस में अन्य बातों के *साथ-साथ* सरकारी राजस्व तथा कर प्रशासन के गंभीर मामले सम्मिलित होते है जो कि बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदन (राज्य एवं केन्द्र), कर सुधार समिति की सिफारिशें विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्व आय के सांख्यिकी विश्लेषण लेखापरीक्षा व्याप्ति से लिए होते हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान 386 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां थी, जिनमें से 178 इकाइयों[8] की लेखापरीक्षा की गई। दो विषयक लेखापरीक्षा ***"व्यापारियों को दी गई रियायतें"*** तथा ***"विभिन्न प्राप्ति शीर्षों के अन्तर्गत आबकारी एवं कराधान विभाग में राजस्व बकाया"*** संचालित की गई। इसके अतिरिक्त, राजस्व प्राप्तियों की वसूली में सम्बद्ध विभागों की प्रभावशीलता को जांचने के लिए ***"वस्तु एवं सेवा कर में परिवर्तित होने की तैयारी"*** पर भी लेखापरीक्षा संचालित की गई।

1.10 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2017-18 के दौरान अभिलेखों की नमूना-जांच के माध्यम से 386 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन, माल एवं यात्री कर तथा वन प्राप्तियों की 178 इकाइयों की लेखापरीक्षा संचालित की गई। विभागों की कार्यप्रणाली में बिक्री एवं खरीद के दमन का पता लगााने में विफलता; निवेश कर क्रेडिट का अवनिर्धारण/गलत छूट देना; कर की गलत दर को लागू करना; निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा आबकारी शुल्क, लाइसैंस फीस तथा ब्याज की अल्प वसूली; स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का अल्प उद्ग्रहण, उप-पंजीकारों द्वारा

[8] इन इकाइयों में तीन शीर्ष स्तर की इकाइयां आबकारी, परिवहन एवं राजस्व विभाग, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला के कार्यालय की एक इकाई (ये चार निरीक्षण प्रतिवेदन जारी नहीं किए गए थे), विलासिता कर, मनोरंजन कर, टोल कर एवं बहुउद्देश्यीय बैरियर की इकाइयां शामिल हैं।

सम्पत्ति के बाजारी मूल्य का गलत निर्धारण; परिवहन विभाग द्वारा सांकेतिक कर, विशेष सड़क कर, समेकित फीस की अल्प वसूली; वन विभाग द्वारा रॉयल्टी एवं विस्तार फीस की अल्प वसूली की मुख्य कमियां पाई गई। 2017-18 के दौरान निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से लेखापरीक्षा द्वारा उजागर कमियों के कारण 863 मामलों में कुल ₹490.09 करोड़ की राशि के राजस्व की हानि थी।

वर्ष के दौरान, सम्बन्धित विभागों ने 317 मामलों में ₹13.61 करोड़ राशि की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया, जिसमे से 298 मामलों में ₹4.16 करोड़ की राशि वसूली गई जिसमें पिछले वर्षों की लेखापरीक्षा से सम्बंधित 296 मामलों के ₹4.15 करोड़ तथा 2017-18 के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित दो मामलों में ₹0.01 करोड़ थी।

1.11 इस प्रतिवेदन की आवृत्ति

इस प्रतिवेदन में ₹330.87 करोड़ के राजस्व निहितार्थ दो विषयक लेखापरीक्षा सहित 25 परिच्छेद हैं। विभाग/सरकार ने ₹87.87 करोड़ से युक्त 19 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया जिसमें से 11 मामलों में ₹4.30 करोड़ वसूले गए थे।